учя- ■ 30

Form-1

For linear projects Government of India

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 773/XXVI -64 (2019-2020)

Dated...7-8-19

To WHOM SO EYER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued cerlain relanation in respect of linear projects it is certified that 0.359 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Division peyjal nigam Ghansali for nagar panchayat Chamiyalai Pumping water supply scheme.(purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails withen jurisdiction of nagar panchayat Chamiyala In Ghansali Tehsils.

It is further certified that

9

3

ъ

The complete process for idenfification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.359 hectares of forest area proposed for diveision A copy of records of all consullations and meetings of the forest rights committee (s) nagar panchayat Chamiyala (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to !:. annexure...........

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Nagar

Panchayat have given their consent to it,

The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and (c) pre-agricultural communities.

Encl. As above.

जिला अविकारी DISTRET CORPETTOR Tehri Garhwall

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT - Tehri (U.K.)

Proceedings of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New Telry' Dated: 7-8-19

जिला अधिकारी

टिहरी गढवाल

Deputy Commissioner
cum-Chairman

District Level Committee

It is further certified that-Minutes of Meeting of Chamiyalai Pumping W/s scheme scheme regarding FRA is as following:-

Sr. No.	PARTIE THE PROPERTY OF THE PRO	Remark	
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.	
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	

जिला अंद्रश्यमा सदस्य, क्रिक्शिकायहात्मिन्याला टिहरी गढवाल

क्रमाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल। प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणियाचिकारी, विकास विकास प्रभाग, नई टिहरी।

अधिशासीः अभियत्तीः EBN प्रयुक्तः निरामः समस्यति जिला समाज कन्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल

> प्री.hm जिला अधिकारी, टिहरी गढवाल।

учя_ 30.1

परियोजना का नाम :- ई0ए०पी० के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चिमयाला पियंग पे0यो० का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पचांयत चिनयाला पिन्पंग पे0यो0 निर्माण हेतु 0.20 है0 आरक्षित वन भूमि 0.159 है0 सिविल एवं सायेम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड एजेन्सी के पत्र में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील—घनसाली) की दिनांक-24/6/9को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है : 7

1. श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी

अध्यक्ष ।

2. श्री बलवीर प्रसाद बधानी उप प्रभागीय वनाधिकारी

सदस्य।

3. श्री सतवीर सिंह पंवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी

सदस्य / सचिव।

4. बी तिजयु गुनुस्रोत्स ब्लॉक प्रमुख शिंलगन्त विदेश में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकीरी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिंलगना में राज्य योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत चिमयाला पिपंग पे0यो० के निर्माण हेतु परियोजना हेतु 0.35% हैं0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पंचायत विकाल के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित नगर पंचायत विकाल द्वारा सर्व सम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत चाभियाला /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मित से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत चिमयाला पिम्पंग पे0यो० के निर्माण हेतु 0.359 है0वन भूमि पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उपजिला विकास, कारी घनसाली, दिखी गढवाल,

पत्रांक :- / तद्दिनांक। प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनाार्थ प्रेषित /

> उपजिलाधिकारी, घनसाली, टिहरी गुजुबाता

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली टिहरी गढवाल।

आज दिनांक— 24.06.2019 को नगर पंचायत चिमयाला पिम्पंग पे0यो० निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2000 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार सिमति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :—

अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री फिंचाराम चौहान	उपजिलाधिकारी	96
बलवीर प्रसाद बधानी	उप प्रभागीय वनाधिकारी अन्हिनाधनारी	All
सतवीर सिंह पंवार	सहायक समाज कल्याण अधिकासी	The same
भी-विजय गुनस्तेला	प्यांक प्रमुख भिंलगना (
	श्री फिंचाराम चौहान बलवीर प्रसाद बधानी सतवीर सिंह पंवार	श्री फिंचाराम चौहान बलवीर प्रसाद बधानी बलवीर प्रसाद बधानी वनाधिकारी वनाधिकारी सतवीर सिंह पंवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

विहरी वनाधिकारी विहरी वन प्रभाग नई टिहरी

प्रपत्र- 30.3

परियोजना का नाम :- ई०ए०पी० के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड मिलंगना में नगर पंचायत चिमयाला पिन्पंग पे0यो० का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

नगर पंचायत का नाम- **चित्रग्राता**। तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत पिन्पंग पे0यो० के निर्माण हेतु 0.20 है0 आरक्षित वन भूमि 0.159 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली / संस्था के पक्ष मं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत कि मिश्राला द्वारा विनांक— 24.06.2019 को सम्पन्न नगर पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मं अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी नगर पंचायत वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पंचायत विकास नगरवासियों को उक्त वन भूमि पेयजल निगम घनसाली प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 अस्त्रम् अध्यक्तरी जन्मर रचित्रत चित्रसला टिहरी गहराल मार्थ प्राप्त समियांता टिहरी गढ़वाल

नोट :- यदि किसी नगरवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय। उक्त प्रपन्न प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र- 30.4

नगर पंचायत का नाम -

नगर पंचायत का नाम –				
क्रमांक	नगर पंचायत में उपस्थित वरिष्ठ नगरवासिया के नाम	हस्ताक्षर 🧷		
1.	है। मरी, ममरा पमार ने प अध्यव	arres		
2.	TOMER, DAG . CHUNG -3	John		
3.	नगर पंचायत मे उपस्थित वरिष्ठ नगरवासियो के नाम हो मती, नगरा प्रमार निक्ष अध्यक्षं जिल्ला एका स्थालक - ५	(m)		
		TO VICTOR OF THE PARTY		
	The state of the s			
		ACTOR OF THE PARTY.		
	3			
		Land of the second of the second		
A Parket				

	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	
	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	
	THE PARTY OF THE P	The second secon
-		
	The same of the sa	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
1 25-345	Ver 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	
		0
		80/ - ans

ह0 / - अध्यक्ष ने0प0 आध्यक्ष जगर पंचायत, चनियान टिहरी गढवान